न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, उज्जैन म0प्र0

पुनरिक्षण याचिका /04 R-1733-I/2004 (10)

श्री आर.पी. सोदे 2 Adv, कोर्ट
व्यवसिम 23.12.04 को
प्रस्तुत [illegible]

1- वरदीबाई उर्फ राधाबाई बेवा बापूलाल झंवर

2- गोपाल पिता बापूलाल झंवर

निवासीगण- मनासा जिला नीमच

---- अपीलार्थी

विरूद्ध

मानकुंवर पिता रामनारायण महाजन निवासी-

भाटखेड़ी तहसील मनासा

---- रेस्पाडेंट

न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक-263/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-9-04 से असन्तुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959-

मान‍नीय महोदय,

न्यायालय आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के अपील क्रमांक- 263/02-03/अपील में पारित अंतिम आदेश दिनांक 27-9-04 से असन्तुष्ट होकर यह पुनरिक्षण याचिका प्रार्थीगण वरदीबाई और गोपाल की ओर से निम्नानुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाकर स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत है :-

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

यह कि, रेस्पाडेंट व्दारा एकआवेदन अन्तर्गत धारा 109 व 110 के एल0आर0सी0 के तहत श्रीमान तहसीलदार महोदय मनासा के न्यायालय में व्यवहार न्यायालय वर्ग-1 के दी0 मु0नं0 39-ए/98 में पारित निर्णय के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । इस आवेदन पत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय व्दारा अपीलार्थी क्र-1 वरदीबाई उर्फ राधाबाई बेवा बापूलाल को सूचना पत्र जारीकिया गया तथा बापूलाल के अन्य

का उप
गया है जो कि

--2

अरुचि में समाप्त

IX(a)-BR(H)-11

73

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1733-I/05 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/9/14	आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं। अनावेदक की ओर से अभि. श्री एन.एस. सिसोदिया उप. प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण पिछले 10 वर्ष से लंबित है और आवेदक को कई बार नोटिस भेजे गये हैं किंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं है अतः यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] प्रशा. सदस्य	[signature] 16.9

[कृ. प. उ.